मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:1133/825/2016/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 2016

प्रति,

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम,
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), द्वितीय
3. महालेखाकार, आडिट
   मध्यप्रदेश ग्वालियर

विषय- कोषालय के मासिक लेखाओं के साथ देयकों की भौतिक प्रतियाँ भेजने की पुनरीक्षित व्यवस्था ।

-•••-

उपर्युक्त विषय में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के परिशिष्ट क्रमांक -26 का बिन्दु क्रमांक-10 एवं राज्य शासन की अधिसूचना (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) के अनुसार कोषालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को देयकों की हार्ड कॉपी (भौतिक प्रति) मासिक लेखा के साथ प्रेषित की जाने के स्थान पर इलेक्ट्रानिक देयक देखने की सुविधा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध होना निर्धारित है ।

2/ उपर्युक्त नियमों के उपरान्त भी वर्तमान में कोषालय के मासिक लेखे के साथ देयकों की भौतिक प्रति प्रेषित की जा रही है परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी एवं ऑटोमेशन के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में इस प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर माह सितम्बर 2016 के उपरान्त कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा के साथ भौतिक देयक प्रेषित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3/ भुगतानों की सूची (SOP) एवं प्राप्तियों की सूची (SOR) की हस्ताक्षरित प्रति AG को भेजी जायेगी । उपर्युक्त स्थान पर महालेखाकार कार्यालय को सर्च तथा जॉच सुविधा दी जायेगी, जिसका उपयोग करते हुये महालेखाकार कार्यालय द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारी/अधिकारी किसी भी व्हाउचर को ऑनलाईन देखकर परीक्षण कर सकेगें ।

4/ महालेखाकार कार्यालय द्वारा CSFMS/IFMIS साफ्टवेयर का उपयोग अपने कम्प्यूटर्स पर किया जा सके । इस हेतु महालेखाकार कार्यालय को आवश्यक VPN/SWAN कनेक्टिविटी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी । इस पर होने वाला व्यय (यदि कोई हो तो) राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा ।

5/ मध्यप्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों के अनुसार कम्प्यूटर जनित देयकों की एक प्रति संबंधित आहरण अधिकारियों के कार्यालयों में ऑडिट हेतु उपलब्ध रहेगी । आडिट सुविधा के लिये आहरण अधिकारी वार/शीर्षवार रिपोर्टस उनके कार्यालय में देखने के लिये उपयुक्त प्रावधान किये जायेगें ।

6/ जी0पी0एफ0 एवं अन्य शेड्युल्स इलेक्ट्रानिक होगें जो कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा डाउन लोड किये जा सकेगें ।

7/ उपर्युक्त व्यवस्था के लिये आवश्यक तकनीकी समाधान महालेखाकार कार्यालय एवं संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा परस्पर विचार विमर्श से किया जायेगा तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक आदेश एवं व्यय की स्वीकृति आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा की जावेगी ।

8/ पैरा 2 अनुसार माह सितम्बर, 2016 उपरांत, प्रस्तावित व्यवस्था लागू की जाने की आवश्यक सहमति दी जावे ।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक:1134 /825/2016/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि,

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
4. रजिट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर ।
5. सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग